(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1429–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–04–2014 पारित द्वारा अध्यक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक 2070–पीबीआर/2011 निगरानी ।

सादिक अली पुत्र श्री बरकतअली (मृत)
द्वारा वारिसान :–
1–श्रीमती रहमानी पत्नी श्री बरकतअली
2–आसिफ अली खॉ
3–जावेद अली खॉ
4–फारूख अली खॉ
5–शर्मिला अली
6–सकीना खॉन
समस्त पुत्रगण एवं पुत्रीगण स्व.श्री सादिकअली खॉ
निवासीगण हकीम अनवर खॉ साहब की बगिया,
चीनी कारखाने के सामने आमखो रोड कम्पू, लश्कर,ग्वालियर
हाल – रामाजी का पुरा कटीघाटी ए.बी.रोड ,लश्कर,ग्वालियर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मो0सुलेमान खॉ पुत्र स्व0श्री मो0याकूब खॉन,
2– ए0पी0एज्यूकेशनल सोसायटी जर्ये सचिव
भरत झॅवर पुत्र दामोदरदास झॅवर
निवासी सराफा बाजार लश्कर ग्वालियर
3– मुन्नी बेगम पत्नी मो.जब्बार खॉ
निवासी हकीम जी की बगिया आमखो लश्कर ग्वालियर(फॉर्मल रेस्पोन्डेंट)
4– साबिर अली खॉ पुत्र सादिक अली खॉन,
निवासी रामाजी का पुरा ए.बी.रोड, लश्कर ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2
श्री एम0पी0भटनागर, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 3
श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/8/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह पुनर्विलोकन म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 4–4–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका क्रमांक 1 के पति व अनावेदक क्रमांक 2 के पिता द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 13–09–2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई । निगरानी प्रचलन रहने के दौरान वारिसानों को अभिलेख पर नहीं लाया गया । दिनांक 4–1–2013 को आवेदक की ओर से श्री पी0एन0शर्मा अधिवक्ता द्वारा मृतक सादिक अली के वारिसानों को अभिलेख पर लिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । दिनांक 3–4–2014 को मृतक सादिक अली खॉ के वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने के आवेदन पर तर्क सुने गये व दिनांक 4–4–14 को आदेश पारित कर इस आशय का निष्कर्ष निकालते हुये कि मृतक सादिक अली के अधिवक्ता द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि उनकी मृत्यु हो जाने के कारण अधिवक्ता के अधिकार समाप्त हो गये हैं । इसके अतिरिक्त सादिक अली की मृत्यु दिनांक 7–6–12 को हो चुका है और लगभग 6 माह पश्चात् वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जबकि वारिसान आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु 90 दिवस की समय सीमा निर्धारित है । मृतक सादिक अली के वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने हेतु आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर निगरानी अबेट होने से निरस्त की गई । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–04–2014 के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से आधार लिया गया है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं 4 के प्रावधान निगरानी में लागू नहीं होते है । यह भी कहा गया कि मृतक सादिक का पुत्र निगरानी में अनावेदक क्रमांक 4 के रूप में अभिलेख पर था परन्तु उसे किसी प्रकार की कोई सूचना निगरानी

अबेट करने में नहीं दी गई है । इस प्रकार उपरोक्त दोनों त्रुटियॉ अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि हैं, अतः यह पुनर्विलोकन स्वीकार किया जाकर मृतक सादिक अली के वारिसान को अभिलेख पर लिया जाये । तर्क के समर्थन में 2001 आरएन 373, 1981 एमपीडब्ल्यूएन नोट 195 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि निगरानी प्रचलन रहने के दौरान सादिक अली की मृत्यु हो गई है और यदि मृतक के वारिसान को व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 के अन्तर्गत अभिलेख पर नहीं लिया जायेगा तो किस आधार के अन्तर्गत अभिलेख पर आयेगा । इस आधार पर कहा गया कि संहिता की धारा 43 में स्पष्ट प्रावधान है कि संहिता के प्रावधान मौन है वहॉ व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधान लागू होंगे । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक के वारिसान को अभिलेख पर लाये जाने हेतु आवेदन पत्र अबधि बाह्य प्रस्तुत किया गया है परन्तु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब क्षमा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि मृतक सादिक अली का पुत्र साबिर अली खॉ अनावेदक कमांक 4 है जिसका लाभ आवेदकगण को प्राप्त नहीं हो सकता । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब निगरानी प्रचलन योग्य नहीं थी तब अनावेदक कमांक 4 को सूचना देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

5/ अनावेदक कमांक 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि निगरानी अबेट करने में अनावेदक कमांक 4 को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार उसे सूचना देना आवश्यक था ।

6/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । 2001 आर.एन. 373 देवीसिंह तथा अन्य विरूद्ध गजराज सिंह तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं :–

(1) म.प्र.भू–राजस्व संहिता,1959(म.प्र.)–धारा 50–सिविल प्रकिया संहिता,1908–आ.22–आ. 22 के उपबंध–मूल कार्यवाहियों तथा अपीलों को लागू हैं–पुनरीक्षण को लागू नहीं ।

(2) सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आ. 22 नि. 3 तथा 1 – म.प्र. भू – राजस्व संहिता, 1959 – धारा 50–विधिक प्रतिनिधि पुनरीक्षण में यथासमय अभिलेख पर नहीं लाये गये – पुनरीक्षण का उपशमन नहीं होता – आवेदन पर बहस करने के लिये कार्यवाही नहीं की गई–पुनरीक्षण खारिज करने के लिये अंतर्निहित शक्तियों का अविलंब लिया जा सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में निगरानी का उपशमन नहीं होता है, इसके अतिरिक्त इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4–4–2014 को आदेश पारित करने में सभी पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–4–2014 में प्रथमदृष्टया अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि होने के कारण इस न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–04–2014 निरस्त किया जाता है । यह पुनर्विलोकन स्वीकार करते हुये मूल निगरानी प्रकरण में मृतक आवेदक के वारिसानों को अभिलेख पर लिया जाकर गुणदोष पर सुनवाई हेतु नियत किया जाता है ।

8/ यह आदेश पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 1430–पीबीआर/2014, पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 1431–पीबीआर/2014, पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 1432–पीबीआर/2014, पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 1433–पीबीआर/2014, पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 1434–पीबीआर/2014, पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 1435–पीबीआर/2014, पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 1436–पीबीआर/2014, पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 1437–पीबीआर/2014, पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 1438–पीबीआर/2014 एवं पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 1477–पीबीआर/2014 पर भी लागू होगा, अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर